बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक .....

सं०–08 / आ०5–66 / 2024..... / प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 529 दिनांक 24.04.2026 द्वारा श्री नीतिश्वर महतो, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा, वैशाली–सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत "3 (तीन) वर्ष के लिए 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन कटौती" का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री महतो द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन पर दिनांक 23.09.2026 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में सुनवाई की गयी। सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–08 के द्वारा पक्ष रखा गया।

2. विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा, शिक्षा विभाग, पटना के पत्रांक 39 / गो० दिनांक 19.05.2025 द्वारा श्रीमती सुमन कुमारी, सेवा निवृत प्रखण्ड शिक्षिका, रा०उ०म०वि० यशपरहा, जन्दाहा, वैशाली के परिवाद पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी–सह–सचिव प्रखंड नियोजन इकाई, जन्दाहा द्वारा स्वीकृत चिकित्सा अवकाश अवधि के लंबित वेतन भुगतान में हुए विलंब के संबंध में दिये गये निदेश के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के पत्रांक 186(उच्च) दिनांक 20.05.2025 द्वारा श्री नीतिश्वर महतो, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा, वैशाली–सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 478 दिनांक 20.05.2025 द्वारा उक्त प्रतिवेदित आरोप के समीक्षोपरांत श्री महतो द्वारा अपने कर्त्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करने के कारण बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत श्री महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं श्री महतो के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 568 दिनांक 18.06.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त बचाव अभिकथन पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली से मंतव्य प्रतिवेदन की मांग की गयी।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 988 दिनांक 25.09.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। संचालन पदाधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना एवं उपस्थापन पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), वैशाली को नामित किया गया एवं श्री महतो की सेवानिवृति की तिथि 30.09.2025 रहने के कारण उन्हें दिनांक 25.09.2025 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 380 दिनांक 31.12.2025 द्वारा श्री महतो के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में आंशिक रूप से प्रमाणित जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 122 दिनांक 20.01.2026 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के तहत लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

श्रीमती सुमन कुमारी, सेवानिवृत नियोजित प्रखण्ड शिक्षिका रा०उ०म०वि० यशपरहा, जन्दाहा, वैशाली के चिकित्सा अवकाश के अवधि के वेतन भुगतान हेतु दिए एक अभ्यावेदन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करने एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) वैशाली के द्वारा निदेशित किये जाने के बावजूद शिक्षक/शिक्षिका के मातृत्व अवकाश/चिकित्सा अवकाश आदि का विपत्र जिला कार्यक्रम को उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन में अंकित किया गया कि श्रीमती सुमन कुमारी द्वारा दिनांक 06.07.2022 से 05.08.2022 तक चिकित्सा अवकाश की अवधि के वेतन भुगतान हेतु दिनांक 21.11.2022 को दिये गये आवेदन के आलोक में तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा के पत्रांक 612 दिनांक 12.12.2022 के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०), वैशाली को विपत्र संधारित कर प्रेषित किया गया परन्तु सुमन कुमारी का दूसरा आवेदन जो दिनांक 01.08.2023 से 15.09.2023 तक चिकित्सा अवकाश की अवधि का वेतन भुगतान संबंधी था, जो लेखापाल को प्राप्त कराया गया था। संबंधित शिक्षिका के द्वारा भी कार्यालय प्रधान के संज्ञान में नहीं लाया गया। तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्था०) वैशाली के पत्रांक 2937(स्था०) दिनांक 23.06.2023 एवं पत्रांक 2615(स्था०) दिनांक 05.06.2023 द्वारा सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्/नगर पंचायत एवं संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्थान में वैध रूप से कार्यरत शिक्षकों के मातृत्व अवकाश/रुग्नावकाश का विपत्र कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश के बावजूद भी श्रीमती सुमन कुमारी के द्वितीय कालावधि दिनांक 01.08.2023 से 15.09.2023 तक चिकित्सा अवकाश के वेतन भुगतान हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 11.11.2023 पर संज्ञान नहीं लेने हेतु श्री महतो को आंशिक रूप से दोषी प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। कार्यालय में प्राप्त सभी पत्रों के निष्पादन की जिम्मेदारी कार्यालय प्रधान की होती है। तदालोक में समीक्षोपरांत उक्त मामले में श्री महतो को दोषी मानते हुए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 529 दिनांक 21.04.2026 द्वारा उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत तीन वर्षों के लिए 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया।

6. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध सुनवाई में अपीलार्थी द्वारा अधिरोपित दंड को निरस्त करने का अनुरोध किया गया लेकिन अधिरोपित दंड के कारणों के प्रतिउत्तर में कोई भी तथ्य नहीं रखा गया। साथ ही सुनवाई में प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन में भी संदर्भित तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो पाये कि आरोपी पदाधिकारी दोषी नहीं है। कार्यालय प्रधान होने के नाते कार्यालय में प्राप्त सभी पत्रों का ससमय निष्पादन इनका कर्तव्य है, जिसका समुचित निर्वहन नहीं किया गया है।

7. अतः समीक्षोपरांत प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 529 दिनांक 24.04.2026 द्वारा श्री नीतिश्वर महतो, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा, वैशाली–सम्प्रति–सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत "3 (तीन) वर्ष के लिए 5% (पाँच प्रतिशत) पेंशन कटौती का अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

8. इसके साथ ही इस मामले को निस्तारित किया जाता है।

ह०/–
(राजीव रौशन)
सचिव, शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–08/आ०5–66/2024–1125/ पटना, दिनांक 12.10.2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, पेशन शाखा (प्रशाखा–17), शिक्षा विभाग/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्री नीतिश्वर महतो, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जन्दाहा, वैशाली–सम्प्रति–सेवानिवृत, स्थायी पता–ग्राम–जारंग गोटोली, पो०–जारंग ड्योढ़ी, थाना–गायघाट, जिला–मुजफ्फरपुर–843118 एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/10/26
सचिव, शिक्षा विभाग